नवभारत टाइम्स

पुलिस की कम जानकारी का शिकार परिवार, 5 घंटे की माथापच्ची के बाद हो सका अंगदान

टाइम्स न्यूज नेटवर्क | Mar 10, 2017, 01.03 PM IST

सुमित्रा देबरॉय, मुंबई

अंगदान के बारे में पुलिस की कम जानकारी एक परिवार के लिए बेहद कठोर अनुभव साबित हुई। परिवार को अपने परिजन के अंगों का दान करने के लिए आजाद मैदान पुलिस से पांच घंटों तक अंगदान से जुड़े कानूनी दांवपेचों को लेकर माथापच्ची करनी पड़ी। हालांकि, बुधवार सुबह 4 अंगदान संभव हुआ और 4 लोगों को जीवनदान मिला।

68 वर्षीय दिलीप पारेख का परिवार अंगदान से जुड़े नियमों को लेकर जागरूक था, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि कभी उसे खुद इस रोल आना पड़ेगा। सीएसटी स्थित एक फूड स्टॉल से गिरने के बाद दो सप्ताह पहले पारेख को सिर में चोट लगी, उन्हें सेंट जॉर्ज अस्पताल ले जाया गया और बाद में सैफी अस्पताल लाया गया, जहां मंगलवार को उन्हें ब्रेन डेड घोषित कर दिया गया।

पारेख के परिवार को दोपहर 12:30 बजे बताया गया कि उनकी मौत हो चुकी है। मौत की जानकारी मिलने के एक घंटे के भीतर परिवार ने उनके अंगों को दान करने का फैसला कर लिया। मामला ऐसा था कि अस्पताल ने परिवार को आजाद मैदान पुलिस से एनओसी लाने को कहा, जिसके बाद ही अंगदान की प्रक्रिया शुरू की जा सकती थी। यहीं से परिवार की कठिन परीक्षा की शुरुआत हुई।

पारेख के भाई जयंत करीब 4:30 बजे शाम को सैफी अस्पताल के अनुमति पत्र के साथ आजाद मैदान पुलिस स्टेशन पहुंचे और उन्हें रात 10 बजे एनओसी मिल पाई। समय तो लगा लेकिन काम इतनी आसानी से नहीं हुआ, कई वरिष्ठ अधिकारियों और सिविल सर्जन को हस्तक्षेप करना पड़ा। पारेख का परिवार पहले से ही दुखी था, इसपर जयंत को कई सवालों से गुजरना पड़ा। पुलिस ने उनसे पूछा, 'जब वह वेंटिलेटर पर हैं तो कैसे उनके अंग निकाले जा सकते हैं, डेथ सर्टिफिकेट लाइए।'

सैफी अस्पताल के मेडिकल ऐडमिनिस्ट्रेटर डॉ. शबीना ने कहा, 'यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि अंगदान जैसे काम के लिए लिए भी परिवार को इतनी मुश्किलों से गुजरना पड़ा। यहां यह जरूरी हो जाता है कि मेडिकल-लीगल मामलों में जल्द से जल्द कड़े नियम बनाए जाएं।'

पारेख के परिवार को अंगदान के फैसले के 19 घंटे बाद उनका शव अगले दिन सुबह करीब 8:30 बजे सौंपा गया।

इस खबर को अंग्रेजी में पढ़ें